High Powered Committee to Review the Promotions of Central Secretariat Service Officers

*154. SHRI B. L. PANWAR : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have appointed a high powered committee to review the structure and promotional avenues of Central Secretariat Service (Officers) who have put in more than 15 years of service for promotion from one Grade to another;

(b) whether the committee has submitted its report; if not, by when the committee is likely to do so and the steps taken by Government to get it expedited; and

(c) whether Government are considering any further action to boost the morale of Central Secretariat Service officers; if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) A committee has been set up in December, 1991 under the chairmanship of Additional Secretary (Administrative Reforms) *inter-alia* to review the promotion prospects in Central Secretariat Service and suggest changes that are considered necessary in the existing structure of the Service with a view to improving its efficiency, effectiveness and morale of the members of the Service.

(b) The Committee is expected to submit its report by 31-7-92.

(c) No further action is considered necessary.

लघु उद्योग नीति के अन्तर्गत घोषणाओं का कार्यान्वयन

*155. श्रीमती सुषमा स्वराज :

श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अप्रैल, 1992 के "दैनिक ट्रिब्यून" में "ए० आई० एम० ओ० चीफ वान्ट्स एस० एस० आई० पालिसी इम्पलीमेन्टेशन" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष लघु उद्योग नीति के अन्तर्गत घोषित अनेक घोषणाओं को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन घोषणाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है; और

(घ) उन घोषणाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है और उनके संबंध में सरकार की क्या भावी योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 6-8-1991 को घोषित "लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत उपाय" में उल्लिखित मुख्य-मुख्य मुद्दों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

प्रमुख मुद्दे	वर्तमान स्थिति
1. अति लघु क्षेत्र में निवेश सीमा की वृद्धि	कार्यान्वित । आदेश जारी कर दिए गए हैं।
2. महिला उद्यमी उद्यमों की परिभाषा में संशोधन	कार्यान्वित । आदेश जारी कर दिए गए हैं।
3. सेवा तथा व्यावसायिक उद्यमों में संलग्न उद्योग लघु उद्योग की भांति माने जाएंगे और निवेश सीमा अति लघु उद्यमों के अनुरूप होगी।	कार्यान्वित । आदेश जारी कर दिए गए हैं।
4. मानदण्डों के आधार पर पर्याप्त ऋण निर्गम सुनिश्चित करने संबंधी प्रयास किए जाएंगे।	डिप्टी गवर्नर, आर०बी०आई० की अध्यक्षता में आर०बी० आई० द्वारा गठित एक समिति की जांच के अन्तर्गत है।